जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
76/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Gen. No.

A3

अपील सूचना अधि. सं0 76/2016 अनवानी श्री गोपीराम पुत्र लालचंद साकिन 3 बी.जी.एम. मार्फत कर्ण प्रोविजन स्टोर, सुपर बाजार जैतसर बनाम तहसीलदार, श्रीविजयनगर

24.10.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोपीराम उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोपीराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> चक 3 बी.जी.एम. में मुरब्बा न0 35 पत्थर नम्बर 135/377 व मुरब्बा नम्बर 36 पत्थर नम्ब्र 136/377 का कुल रकबा 12.395 हे0 नहरी/बारानी भूमि 15एएए के तहत आवंटित हुई थी। जिसकी 16800रू0 कुल कीमत (18.05.1972) को कुल अर्द्धवार्षिक 16 समान किस्तों में जमा करवा दी गई थी। उक्त भूमि की खातेदारी हमें देने का श्रम करें।
> क्या इस भूमि पर किस्तों की राशि पूर्ण रूप से जमा करवाई गई है या नही, इसका पूर्ण व्यौरा दे।

उक्त सूचनांओ के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 आरटीआई/16/352 दिनांक 12.05.2016 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी गोपीराम का आरटीआई प्रा0 पत्र दिनांक 19.02.2016 उनके कार्यालय में 22.02.16 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में चक 3 बी.जी.एम. का पत्थर नम्बर 136/377 (35) व 136/377 कुल 12.395 हे0 रकबा 15एएए में आवंटन हुआ थ जिसकी समस्त किशते जमा करवाई है या नही कि सूचना एवं खातेदारी देने का निवेदन किया था इस संबंध में प्रार्थी को जबाब पत्र सं0 263 दिनांक 12.03.16 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया था जिसमें प्रार्थी को निर्धारित अवधि में सूचित कर दिया गया था कि सेल रजिस्टर में उक्त वर्णित भूमि का खाता नही है। अतः अपील दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने पत्र सं0 263 दिनांक 12.03.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषय में लेख है कि चक 3 बी.जी.एम. के मु0न0 35 प0न0 135/377 व मु0न0 36 प0न0 136/377 का सेल रजिस्टर में खाता नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार, श्रीविजयनगर से चक 3 बी.जी.एम. में मुरब्बा न0 35 पत्थर नम्बर 135/377 व मुरब्बा नम्बर 36 पत्थर नम्ब्र 136/377 का कुल रकबा 12.395 हे0 नहरी/ बारानी भूमि 15एएए के तहत आवंटित भूमि की खातेदारी देने एवं इस भूमि पर किस्तों की राशि पूर्ण रूप से जमा करवाई गई है या नही, का पूर्ण व्यौरा चाहा गया है। तहसीलदार, श्रीविजयनगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि का तहसील सेल रजिस्टर में खाता नही है जिस कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
76/2016

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की जा सकती है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 12.03.2016 उचित है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर